प्रेस विज्ञप्ति
22.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने सागर सूर्यवंशी समूह की 45.26 करोड़ रुपये की चल संपत्तियाँ, पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के तहत विनय विवेक अरण्हा और अन्य (मेसर्स सेवा विकास सहकारी बैंक धोखाधड़ी) के खिलाफ दर्ज मामले में मेसर्स सेवा विकास सहकारी बैंक के परिसमापक को वापस कर दीं।

ईडी की जाँच से पता चला कि सेवा विकास सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमर मूलचंदानी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर, उधारकर्ताओं का पक्ष लिया और उनकी ऋण पात्रता की अनदेखी करते हुए उन्हें ऋण स्वीकृत किए। धोखाधड़ी के माध्यम से, अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत करके, सागर सूर्यवंशी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों/संस्थाओं के नाम पर 41.42 करोड़ रुपये के 10 ऋण लिए। उन्होंने/उनके परिवार के सदस्यों ने इन ऋण राशि का उपयोग विभिन्न संपत्तियां खरीदने के लिए किया। इसके अलावा, ऋण खातों के अवलोकन से पता चला कि ऋण राशि को अन्य आरोपियों और उनकी संबंधित कंपनियों/फर्मों में डायवर्ट किया गया था। अन्य आरोपियों को डायवर्ट की गई राशि को ज्यादातर नकद में निकाला गया या इच्छित उद्देश्य के अलावा अन्य व्यक्तिगत संवर्धन के लिए इस्तेमाल किया गया। परिणामस्वरूप, आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों/संस्थाओं द्वारा प्राप्त ये 10 ऋण जानबूझकर की गई चूक के कारण दिनांक 31.03.2021 तक 60.67 करोड़ रुपये के बकाया के साथ एनपीए में बदल गए। सूर्यवंशी समूह की संपत्तियां पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के तहत कुर्क की गईं और 19.05.2023 को माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई।

बैंक के परिसमापक द्वारा माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए, मुंबई के समक्ष पीएमएलए की धारा 8(8) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। **जमाकर्ताओं के व्यापक हित और वर्तमान में चल रहे वापसी के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए**, प्रवर्तन निदेशालय ने एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया और परिसमापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का समर्थन करते हुए माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए, मुंबई के समक्ष एक हलफनामा दायर किया ताकि संपत्तियाँ उन्हें सौंप दी जाएँ ताकि उन्हें वैध और वास्तविक जमाकर्ताओं को वापस किया जा सके।

इस प्रकार, ईडी के हलफनामे के आधार पर, माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय ने सागर सूर्यवंशी समूह की **45.26 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्तियों** को मेसर्स सेवा विकास सहकारी बैंक के परिसमापक को वापस करने का आदेश दिया।